

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड  
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)  
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज -II : करोल बाग नई दिल्ली -110005  
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की बेवसाईट

[www.delhijalboard.nic.in](http://www.delhijalboard.nic.in)

कमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)/अपील न0 1349/2015/ दि: 25.06.2015

श्री अशोक कुमार,  
दु0न0 113, सैक्टर-9 मार्किट,  
आर0 के0 पुरम,  
नई दिल्ली-110022.

संयुक्त निदेशक (राजस्व) द0/द0प0

### आदेश

इस आदेश द्वारा श्री अशोक कुमार, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1)के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 15.05..2015 (आई0डी0न0: 8492) का निपटान किया गया।

दिनांक 25.06..2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता उपस्थित नहीं हुए एवं श्री डी0 सी0 जैन, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)-III, आर0 के0 पुरम जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील की सुनवाई के दौरान श्री डी0 सी0 जैन, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)-III, आर0 के0 पुरम, सहायक जनसूचना अधिकारी ने श्री अशोक कुमार द्वारा लिखित पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलकर्ता ने सूचित किया है कि मेरी शिकायत दूर कर दी गई है इसलिए मुझे अब अपील में आने की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील में कोई और आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-



7.1.2


h

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
द्वितीय तल,बी-विंग,  
अगस्त कान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली- 110066

ह0/-  
अमित सतीजा  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री अशोक कुमार, दु0न0 113, सैक्टर-9 मार्किट,आर0 के0 पुरम,, नई दिल्ली-110022.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व)द0/द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (द0प0)-।।।, आर0 के0 पुरम ।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

  
प्रथम अपीलीय अधिकारी



पुनः

program 5

  
8-7-15